रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/ आषाढ़ 20, 1935
No. 342] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ASHADHA 20, 1935

indiacode

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11जुलाई, 2013

सा.का.नि. 474(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से कीटनाशी नियम, 1971 का संशोधन करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा0का0नि0 75(अ), तारीख 12 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक जनता से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां 12 फरवरी, 2013 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त अधिसूचना की बाबत प्राप्त आक्षेप और सुझाव पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया था ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, कीटनाशी नियम, 1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 11 के खंड (क) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि घरेलू कीटनाशी के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति दस वर्ष की कालावधि के लिए जारी होगी"।

[फा0सं0 13035/12/2012-पीपी.1]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 को प्रकाशित किए गए और उसमें निम्न द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन हुए :--

1. सा0का0नि0 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा0का0नि0 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा0का0नि0 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988,
4. सा0का0नि0 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा0का0नि0 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
6. सा0का0नि0 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
7. सा0का0नि0 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2007,
8. सा0का0नि0 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006,
9. सा0का0नि0 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009 और
10. सा0का0नि0 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2013

G.S.R. 474(E).— Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) in consultation with the Central Insecticide Board was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.75 (E),dated 12th February 2013,inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 12th February 2013;

And whereas, objection or suggestion received in respect of said notification were duly considered;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) , the Central Government , after consultation with the Central Insecticides Board, makes the following rule further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 11, in clause (a), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that a licence for retail selling of household insecticides shall be issued for a period of ten calendar years".

[F.No. 13035/12/2012-PP.I]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1650 (E), dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:—

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E),dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2007,
8. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009, and
10. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054